11/01/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी को आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज लगाने के बावजूद भी वकील प्रार्थी न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर आवेदन अं. धारा 254 A अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।